

प्रेषक,

महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/ 8927

लखनऊ/दिनांक-14/06/2021

**विषय:-** सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक, डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1080/नौ-9-21-121ज/20, दिनांक 08 जून, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, (पत्र एवं ड्राफ्ट दिशा-निर्देश की छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन्-1950) की धारा-437, धारा-438 की उपधारा (1) के खण्ड-(घ), धारा-452 और धारा-541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों को नगर निगम सभी क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जनपद के समस्त नगर निगम/स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय



महानिदेशक  
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)  
तद्दिनांक

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- (ई-मेल के माध्यम से)

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
- 2-अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
- 3-सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 5-समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6-उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 7-अधिशाली निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप समस्त जनपदों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021-22 /

लखनऊ / दिनांक— 14 / 06 / 2021

**विषय:—** सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक, डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1080/नौ-9-21-121ज/20, दिनांक 08 जून, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, (पत्र एवं ड्राफ्ट दिशा-निर्देश की छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन्-1950) की धारा-437, धारा-438 की उपधारा (1) के खण्ड-(घ), धारा-452 और धारा-541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों को नगर निगम सभी क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जनपद के समस्त नगर निगम / स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय

महानिदेशक  
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)  
तद्दिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021-22 / 8928-34

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:— (ई-मेल के माध्यम से)

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
- 2-अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
- 3-सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 5-समस्त जिला अधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6-उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 7-अधिशाली निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप समस्त जनपदों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निदेशक (स्वास्थ्य)